

# राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर-302016

क्रमांक:-वरि. अति. निदे./सतर्कता/2019-20/3136/85

दिनांक १४। १। १९

## परिपत्र

विषय :- मा० लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त प्रकरणों के संबन्ध में।

माननीय लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त परिवादों की समीक्षा करने पर पाया गया है कि अधिकांश प्रकरण जीपीएफ अवशेष राशि के भुगतान से सम्बन्धित हैं। इन प्रकरणों में स्वत्व निस्तारित करते समय लुप्त/अप्राप्त कटौतियां काट कर स्वत्व राशि का भुगतान किया गया है एवं अधिकार पत्र जारी किये जाते समय काटी गई राशि का कोई विवरण अंशदाता को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। मुख्यालय द्वारा अंशदाता/मनोनीत को काटी गई राशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। किन्तु जिला कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। RTI एवं अन्य स्त्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर अंशदाता/मनोनीत द्वारा जिला कार्यालयों को अवशेष राशि के भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जिला कार्यालयों द्वारा अवशेष राशि के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरणों में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/अंशदाता को वांछित जीए 55ए प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर प्रकरण की इतिश्री कर दी जाती है। समुचित निस्तारण नहीं होने पर अंशदाता द्वारा राज० सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज करवाया जाता है किन्तु लुप्त/अप्राप्त कटौतियों के सत्यापन के अभाव में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाकर जीए 55ए की मांग की जाती है। जिला कार्यालयों द्वारा परिवादी की शिकायत का समुचित निराकरण नहीं होने के कारण जिससे निरन्तर मा० लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त परिवादों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अंशदाता द्वारा मा० लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद दर्ज करवाया जाता है।

अतः इस संबन्ध में समस्त संभागीय/जिला कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि-

- लुप्त/अप्राप्त कटौतियों का विवरण अंशदाता/मनोनीत को उपलब्ध करवाया जाये।
- अवशेष राशि के प्रकरणों हेतु नियमित रजिस्टर संधारित किया जाये। प्रकरण के प्रथम बार प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर निरन्तर आहरण एवं वितरण अधिकारी/अंशदाता से सम्पर्क कर अप्राप्त/लुप्त कटौतियों का विवरण प्राप्त कर अवशेष राशि का भुगतान किया जाये जिससे मा० लोकायुक्त सचिवालय में अनावश्यक परिवाद दर्ज न हो।
- मा० लोकायुक्त सचिवालय के परिवादो की निश्चित जवाब तिथि से 5 दिन पूर्व प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट इस मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। उक्त परिपत्र की आवश्यक रूप से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

—११८ (११८)

(आनन्द स्वरूप IRS)

निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक:-वरि. अति. निदे./सतर्कता/2019-20/

1. निजि सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान।
3. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

(किशनाराम ईशानकर्ण) १५। १। १९  
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर